न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–80/2017

CIS No.- TS 86/2019

शाकिना खातून एवं अन्य..वादीगण

बनाम

म0 अबूलैश एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
27.08.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 20.02.2025 अंदर आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 27.08.2025 को आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0–03 उदयचन देवी कि मृत्यु वाद के लंबित अवस्था में दिनांक 08.01.2025 को हो गया है। वादी सं0–03 उदयचन देवी अपने पीछे अपने वैधानिक उत्तराधिकारी पति मोती साह पुत्र अनिल कुमार, सुनिल कुमार तथा पुत्री मीना देवी तथा अल्का कुमारी को छोड़कर मरी है। न्यायहित में वादी सं0–03 स्व0 उदयचद देवी के वैधानिक उत्तराधिकारीयों का नाम इस वाद में वादी स्व0 उदयचद देवी के स्थान पर प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के अंदर है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि स्व0 उदयचन देवी का नाम वाद पत्र से विलोपित करने तथा उनके स्थान पर उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश देने की कृपा करें। <u>वैधानिक उत्तराधिकारियों का पूर्ण विवरण</u> 3. मोती साह, वल्द–स्व0 शिवराज साह 3(क). अनिल कुमार, पिता– श्री मोती साह 3(ख). सुनील कुमार, पिता– मोती साह सभी साकिनाना ग्राम– बेलवा, वार्ड नं0–09, पो0–बेलवा, थाना–साठी, जिला– प0 चम्पारण। 3(ग). मीना देवी, पुत्री श्री मोती साह, पति– हिरालाल साह ग्राम, पो0 एवं थाना–साठी, जिला– प0 चम्पारण। 3(घ). अलका कुमारी, पुत्री– मोती साह, पति–लालबाबू साह ग्राम–नरकटिया, वार्ड नं0–11, पो0–नरकटियागंज,	

लगातार 27.08.2025	थाना–शिकारपुर, जिला–प0 चम्पारण। प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 23.06.2025 को पत्युत्तर दाखिल किया गया और निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन पत्र अंदर आदेश 22 नियम 03 दिनांक 20.02.2025 परपालनीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। यह सही है कि वादी सं0–03 उदयचन देवी की मृत्यु हो गयी है लेकिन उदयचन देवी के किसी भी वारिशान के द्वारा प्रतिस्थापना का आवेदन अपने नाम पता के साथ नहीं दिया गया है लेहाजा उक्त आवेदन खारिज होने के लायक है। आवेदन को देखने से जाहिर होता है कि इस पृष्ठ पर आवेदन कौन दे रहा है, उसका कोई नाम और पता नहीं है। लेहाजा, अस्पष्टता के कारण उक्त आवेदन पोषनीय नहीं है, बल्कि खारिज होने लायक है। आवेदन के साथ न तो मृतक का मृत्यु प्रमाण–पत्र और न मृत वादी की वंशावली ही दी गयी है। लेहाजा उक्त आवेदन खारिज के लायक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–03 उदयचन देवी कि मृत्यु वाद के लंबित अवस्था में दिनांक 08.01.2025 को हो गया है। वादी सं0–03 उदयचन देवी अपने पीछे अपने वैधानिक उत्तराधिकारी पति मोती साह पुत्र अनिल कुमार, सुनिल कुमार तथा पुत्री मीना देवी तथा अल्का कुमारी को छोड़कर मरी है। न्यायहित में वादी सं0–03 स्व0 उदयचद देवी के वैधानिक उत्तराधिकारीयों का नाम इस वाद में वादी स्व0 उदयचद देवी के स्थान पर प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। प्रतिवादीगण भी इस तथ्य को अपने प्रतिउत्तर में स्वीकार करते है कि वादी सं0–03 उदयचन देवी की मृत्यु हो गयी है। अतः न्यायहीत में वादी का आवेदन अंदर	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–80/2017

CIS No.- TS 86/2019

शाकिना खातून एवं अन्य..वादीगण

बनाम

म0 अबूलैश एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **27.08.2025**	आदेश 22 नियम 02 दिनांक 20.02.2025 को स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 30.10.2025 वास्ते वादी सं0–03 उदयचन देवी का नाम कलमजद करने एवं उनके विधिक वारीसान का नाम प्रतिस्थापित करने वास्ते नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	